



न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना।

जमाबंदी रद्द वाद संख्या-138/2017-18

साधना सिंह वगैरह बनाम भुनेश्वर प्रसाद उर्फ श्याम सुन्दर प्रसाद यादव

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
21.02.2018	<p>आवेदक की ओर से वकालतनामा के साथ अंचलाधिकारी, बिहटा दाखिल खारिज वाद सं० 4647/2017-18 में दिनांक 05.01.2018 को पारित आदेश के विरुद्ध U/s 9 of the Bihar Land Mutation Act-2011 के अन्तर्गत आवेदन दिया गया है।</p> <p>पंजीकरण के बिन्दु पर सुनवाई के लिये न्यायालय में दिनांक-10/03/2018 को रखें।</p> <p align="right">  अपर समाहर्ता, पटना </p>	
10-03-18	<p>आवेदक की धारणा पत्री अपर समाहर्ता अनूप ठाकुर प्रसाद 28-03-18 की रखी</p>	
28-03-18	<p>आवेदक की धारणा पत्री</p> <p>यह वाद दायित्व प्रतीक वाद सं० 4647/17-18 में पतीत अवेदक के विरुद्ध जाल्मा जाल्मा के इतीवत प्रतीक वाद में प्रतीत आदेश के विरुद्ध तर्कवित्त प्रति बुझाए उप समाहर्ता के न्यायालय में अतीत संचित में</p> <p>वाद की इतिवतही जाल्मा की पतीतही</p> <p align="right">  28/3/18 </p>	